चाईल्ड बजट वर्ष 2022-23

विभाग- महिला एवं बाल विकास विभाग

विभागाध्यक्ष- संचालक, महिला एवं बाल विकास

राशि हजार ₹ में

अ. बाल विशिष्ट योजना (योजनाएं जिसमें बच्चों के लिए प्रावधान 100 प्रतिशत है)

क्र.	योजना कमांक	योजना का नाम	योजना का उद्देश्य	बजट प्रावधान 2021-22	बजट प्रावधान 2022-23	अनुमानित लाभार्थी 0 से 18 वर्ष
1	2	3	4	5	6	7
1.	8957	नोनी सुरक्षा योजना	प्रदेश में बालिकाओं की सुरक्षा एवं संरक्षण तथा बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से योजना संचालित है। योजनांतर्गत प्रति बालिका 05 वर्ष तक लगातार 5000 के मान से राशि विनियोजित किया जाता है। बालिका की उम्र 18 वर्ष पूर्ण होने पर परिपक्वता राशि 1,00,000 रू. देय होती है।	251539	252600	लाभान्वित बच्चों की संख्या-7500
2.	7361	किशोरी बालिकाओं के लिए योजना (सबला) अन्तर्गत पूरक पोषण आहार कार्यक्रम	11 से 14 वर्ष आयु की शाला त्यागी किशोरी बालिकाओं को पूरक पोषाहार उपलब्ध कराना तथा प्रशिक्षण आदि ।	71578	57852	लाभान्वित बच्चों की संख्या-13000
3.	7680	आंगनबाड़ी केन्द्रों का उन्नयन तथा ईसीसीई घटक	आंगनबाड़ी केन्द्रों में ईसीसीई पाठ्यक्रम को लागू करना तथा संसाधन युक्त बनाना	195010	218700	लाभान्वित बच्चों की संख्या-950000
4.	7824	राजीव गांधी राष्ट्रीय झूलाघर	कामकाजी महिलाओं के 06 माह से 06 वर्ष तक के बच्चों को दिवस देखभाल सुविधा उपलब्ध कराना	50000	35600	-
5.	8891	फुलवारी योजना	आंगनबाड़ी विहीन बसाहटों में 06 माह से 03 वर्ष के बच्चों को आंगनबाड़ी केन्द्र के समान सुविधा उपलब्ध कराना।	20000	10	-
6.	9949	एकीकृत बाल संरक्षण योजना	किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 एवं नियम 2016 के क्रियान्वयन हेतु संचालित एकीकृत बाल संरक्षण योजना के संचालन हेतु।	471821	471821	-

चाईल्ड बजट वर्ष 2022–23

विभाग– महिला एवं बाल विकास विभाग

विभागाध्यक्ष– संचालक, महिला एवं बाल विकास

राशि हजार ₹ में

अ. बाल विशिष्ट योजना (योजनाएं जिसमें बच्चों के लिए प्रावधान 100 प्रतिशत है)

क्र.	योजना कमांक	योजना का नाम	योजना का उद्देश्य	बजट प्रावधान 2021–22	बजट प्रावधान 2022–23	अनुमानित लाभार्थी 0 से 18 वर्ष
1	2	3	4	5	6	7
7.	9042	एकीकृत बाल संरक्षण योजनांतर्गत शासकीय बालगृह	किशोर न्याय अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार विधि विरूद्ध कार्य करने के लिए निरूद्ध किये गये बच्चे तथा देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों को आवासीय सुविधा के साथ उनके विकास व संरक्षण के लिए बाल देखरेख संस्थाओं का संचालन किया जा रहा है।	209959	224060	–
8.	7303	राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग	राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग को अनुदान प्रदाय किया जाना।	17500	17500	–
9.	5561	राष्ट्रीय शौर्य पुरस्कार से सम्मानित बालक /बालिकाओं को छात्रवृत्ति	यह छात्रवृत्ति राष्ट्रीय शौर्य पुरस्कार/राज्य वीरता पुरूस्कार से सम्मानित बालक/बालिका को अध्ययन के क्षेत्र में प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय शौर्य पुरस्कार से सम्मानित बालक/ बालिका छात्रवृत्ति नियम, 2003 के तहत प्रदान की जाती है । यह छात्रवृत्ति छत्तीसगढ़ राज्य बाल कल्याण परिषद के माध्यम से प्रदान की जाती है/ पुरस्कार प्राप्त बालक/बालिका को स्कूल शिक्षा (उच्चतर माध्यमिक स्तर) के दौरान 500/– प्रतिमाह तथा महाविद्यालय शिक्षा (स्नातक/ स्नातकोत्तर)/शोधकार्य (पी.एच.डी.) के दौरान रूपये 1000/– प्रतिमाह की दर से छात्रवृत्ति दी जाती है। तकनीकी शिक्षा जैसे मेडिकल, इंजिनियरिंग/तकनीकी शिक्षा में स्नातक/स्नातकोत्तर अध्ययन के लिये भी 1500/- रूपये प्रतिमाह की दर से छात्रवृत्ति की पात्रता होती है।	318	400	–

विभाग- महिला एवं बाल विकास विभाग

विभागाध्यक्ष- संचालक, महिला एवं बाल विकास

राशि हजार ₹ में

अ. बाल विशिष्ट योजना (योजनाएं जिसमें बच्चों के लिए प्रावधान 100 प्रतिशत है)

क्र.	योजना कमांक	योजना का नाम	योजना का उद्देश्य	बजट प्रावधान 2021-22	बजट प्रावधान 2022-23	अनुमानित लाभार्थी 0 से 18 वर्ष
1	2	3	4	5	6	7
			इस छात्रवृत्ति के लिए माता-पिता की आय का कोई बंधन नहीं होता है। यह छात्रवृत्ति बालक/बालिका को प्राप्त होने वाली अन्य मैरिट छात्रवृत्ति अथवा अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़ावर्ग के छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति के अतिरिक्त होती है।			
10.	5562	राज्य स्तरीय वीरता पुरस्कार	इस योजना अंतर्गत वीर, साहसी बालक/बालिकाओं को किसी घटना विशेष में उनके द्वारा प्रदर्शित अदम्य साहस, शौर्य एवं बुद्धिमता के संदर्भ में उनके साहसिक कार्य/कृत्य के लिए पुरस्ंत करना है जो अन्य के लिए उदाहरण एवं प्रेरणास्रोत बन सके। यह कृत्य किसी की जीवन रक्षा अथवा उसको शारीरिक क्षति से बचाने के उद्देश्य से निःस्वार्थ सेवा से संबंधित होना चाहिए। पुरस्कार अन्तर्गत प्रति बालक/बालिका को एक मुश्त 10 हजार रूपये की धनराशि एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। प्रतिवर्ष अधिकतम 5 बालक/बालिकाओ को परस्कृत किया जाता है। पुरस्कृत बालक/बालिकाओं को 'राष्ट्ीय शौर्य पुरस्कार से सम्मानित बालक/बालिका छात्रवृत्ति नियम 2003'' के अनुरूप छात्रवृत्ति भी प्रदान की जाती है	300	300	05 बच्चे

चाईल्ड बजट वर्ष 2022-23

विभाग- महिला एवं बाल विकास विभाग

विभागाध्यक्ष- संचालक, महिला एवं बाल विकास

राशि हजार ₹ में

ब. बाल समावेशी योजना (योजनाएं जिसमें बच्चे भी लाभान्वित है)

क्र.	योजना कमांक	योजना का नाम	योजना का उद्देश्य	बजट प्रावधान 2021-22	बजट प्रावधान 2022-23	बच्चों के लिए प्रावधान 2022-23	अनुमानित लाभार्थी 0 से 18 वर्ष
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	0337	आंगनबाड़ियों का सुधार एवं निर्माण	इस योजना अंतर्गत आंगनबाड़ी भवनों के निर्माण, उन्नयन व सुधार हेतु	390000	184895	-	-
2.	6359	मुख्यमंत्री सुपोषण योजना	प्रदेश के 0-5 वर्ष के बच्चों को कुपोषण एवं एनीमिया तथा 15 से 49 आयु वर्ग की महिलाओं को एनीमिया से मुक्त करने के लिए जनभागीदारी को बढ़ावा देना। अभियान अंतर्गत गर्म भोजन एवं अतिरिक्त पोषण आहार के रूप में अण्डा, चिकी, लड्डू मूंगफली, दलिया आदि प्रदान किया जा रहा है।इसके अतिरिक्त एनीमिक बच्चे एवं महिलाओं के आई.एफ.ए. अथवा सिरप ेंमि नाशक दवा एवं व्यवहार तथा खान पान में सकारात्मक परिवर्तन के लिए परामर्श सेवाएँ दी जा रही है।	600000	610003	-	433000
3.	6908	आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं को अतिरिक्त मानदेय	आंगनबाड़ी केन्द्र में कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका को राज्य शासन की ओर से अतिरिक्त मानदेय के लिए यह बजट प्रावधान है। आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से 6 वर्ष तक के बच्चों के होलिस्टक डेवेल्पमेन्ट के लिए योजना संचालित की जा रही है।	1831500	1912000	-	योजना से बच्चों को अप्रत्यक्ष लाभ प्राप्त होता है ।

चाईल्ड बजट वर्ष 2022-23

विभाग- महिला एवं बाल विकास विभाग

विभागाध्यक्ष- संचालक, महिला एवं बाल विकास

राशि हजार ₹ में

ब. बाल समावेशी योजना (योजनाएं जिसमें बच्चे भी लाभान्वित है)

क्र.	योजना कमांक	योजना का नाम	योजना का उद्देश्य	बजट प्रावधान 2021-22	बजट प्रावधान 2022-23	बच्चों के लिए प्रावधान 2022-23	अनुमानित लाभार्थी 0 से 18 वर्ष
1	2	3	4	5	6	7	8
4.	7764	किशोर न्याय अधिनियम अंतर्गत भवन निर्माण (कार्यालयीन भवन एवं लघु निर्माण कार्य मद में भवन निर्माण)	किशोर न्याय अधिनियम अंतर्गत बाल देखरेख संस्थाओं, बालक कल्याण समिति एवं किशोर न्याय बोर्ड के भवनो के लिए लगने वाली आधिक्य राशि/सुधार/मरम्मत/अतिरिक्त निर्माण हेतु।	**30000**	**30000**	-	-
5.	7916	किशोर न्याय निधि अंतर्गत सहायक अनुदान	किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 की धारा 105 एवं नियम 2016 के नियम 83 अनुसार इस अधिनियम एवं नियमों के अधीन आने वाले बालकों के कल्याण और पुनर्वास के लिए सृजित किशोर न्याय निधि हेतु।	**5000**	**5000**	-	-
6.	9044	एकीकृत बाल विकास सेवा योजना	योजनांतर्गत कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थापना व्यय एवं योजना अंतर्गत विभिन्न घटकों के क्रियान्वयन। 0-6 वर्ष आयु के बच्चों को टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच, संदर्भ सेवाएं एवं 06 माह से 06 वर्ष तक के बच्चों को पूरक पोषण आहार तथा 03-06 वर्ष तक बच्चों को शाला पूर्व शिक्षा प्रदान किया जाना।	**7798343**	**7971493**	-	लाभान्वित बच्चों की संख्या -2200000
7.	9050	पूरक पोषण आहार कार्यक्रम	(अ) प्रदेश में महिलाओं एवं बच्चों में व्याप्त कुपोषण को दूर करने हेतु 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चों, गर्भवती एवं शिशुवती महिलाओं को पूरक पोषाहार उपलब्ध कराना	**7198886**	**7306088**	-	लाभान्वित बच्चों की संख्या-2200000

चाईल्ड बजट वर्ष 2022-23

विभाग- महिला एवं बाल विकास विभाग

विभागाध्यक्ष- संचालक, महिला एवं बाल विकास

राशि हजार ₹ में

ब. बाल समावेशी योजना (योजनाएं जिसमें बच्चे भी लाभान्वित है)

क्र.	योजना कमांक	योजना का नाम	योजना का उद्देश्य	बजट प्रावधान 2021-22	बजट प्रावधान 2022-23	बच्चों के लिए प्रावधान 2022-23	अनुमानित लाभार्थी 0 से 18 वर्ष
1	2	3	4	5	6	7	8
			(ब) कुपोषण मुक्ति अभियान अंतर्गत मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना, कार्यकर्ता, सहायिका एवं अमले को प्रशिक्षण, आवश्यक उपकरण का प्रदाय				